

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (वस्त मंत्रालय, भारत सरकार) निफ्ट भोपाल- राजभाषा अनुभाग National Institute of Fashion Technology (Ministry of Textiles, Govt. of India) NIFT Bhopal- Official Language Section

13136/निफ्ट भोपाल/प्रशा./हिन्दी समिति/2009/भाग-2

दिनांक: 08/12/2023

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त/ Minutes of the Official Language Implementation Committee Meeting

राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) भोपाल के सम्मेलन कक्ष में दिनांक: 07/12/2023 को अपराहन 4:00 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आदरणीय निदेशक महोदय की अध्यक्षता में, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई।

Under the Chairmanship of Respected Director (Chairman), Respected Vice Chairman and in the presence of members of the Official Language Implementation Committee (OLIC), the Meeting of the OLIC was organized on 07/12/2023 at 4:00 pm in the conference room of National Institute of Fashion Technology (NIFT) Bhopal.

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित ह्ए/ The following members were present in the meeting:-

- ले. कर्नल आशीष अग्रवाल- अध्यक्ष
- 2. श्री अखिल सहाय- उपाध्यक्ष
- 3. सुश्री स्वाति व्यास- सदस्य
- 4. श्री अयन तिवारी- सदस्य
- 5. डॉ. विशाखा अग्रवाल सदस्य
- 6. श्री प्रभात कुमार- सदस्य
- 7. श्री उत्पल पाठक- सदस्य
- डॉ. रजनीश तामकर सदस्य
- 9. श्री सिकंदर बख़त- सदस्य
- 10. स्श्री समता- सदस्य सचिव
- 11. श्री दिग्विजय सिंह- सदस्य

बैठक में निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई/ The following items were discussed in the meeting :-

- 1. सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) द्वारा दिए गए सुझावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया और अध्यक्ष महोदय द्वारा उनपर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश से बैठक में चर्चा प्रारम्भ हुई।/
 The Member Secretary presented the suggestions given by the Regional Implementation Office (Central) before the committee and with instructions from the Chairman to ensure compliance of the same, the discussion in the meeting started.
- 2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कैलेण्डर 2023-24 के लक्ष्यों को पूरा करने की हिष्ट से अध्यक्ष एवं उपधायक्ष महोदय ने सभी नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया और साथ ही यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, अतः सभी विभागाध्यक्ष द्वारा इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना निर्देशित है। धारा 3 (3) मे आने वाले दस्तावेज निम्निलिखित है:

In order to meet the targets of the Annual Calendar 2023-24 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, the Chairman and Vice Chairman directed to comply with all the rules and also Section 3 (3) of the Official Language Act 1963 as amended. Instructions were given to ensure complete compliance with this rule, hence all HOD's are directed to ensure compliance with this rule. The documents covered under section 3(3) are as follows:-

1,	सामान्य आदेश / General Order
2.	परिपन्न / Circular
political A and Simon	अधिसूचना / Notification
4.	नियम / Rule
5.	ज्ञापन / Memorandum
6.	संकल्प / Resolution
7.	प्रेस विज्ञप्ति / Press Communique
8.	संविदा / Contract
9.	निविदा / Tender
10.	करार / Agreement
11.	लाइसेंस / Licences
12.	परमिट / Permit
13.	प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट / Administrative & Other Reports
14.	संसदीय प्रश्नावली / Parliamentary Questionnaire

3. दिनांक 01/05/2023 को जारी किए गए जांच बिन्दुओं का <u>सभी विभागाध्यक्ष द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया</u> जाना निर्देशित है। /

All HOD's are directed to ensure compliance with the check points issued on 01/05/2023.

4. हिन्दी में शत प्रतिशत कार्य करने हेतु विनिर्दिष्ट-अनुभागों क्रमशः स्थापना, क्रय, प्रशासन और सम्पदा विभाग (संदर्भ: कार्यालय आदेश संख्या 13136/निफ्ट भोपाल/हिन्दी समिति/.प्रशा/2009/भाग-2 दिनांक: 06/06/2023) के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में यह निदेशित किया गया है कि अन्य अनुभागों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और राजभाषा का प्रयोग बढ़ाया जाए। अतः इस विषय में किसी भी प्रकार की अनुवाद संबंधी सहायता के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,निफ्ट भोपाल से संपर्क किया जा सकता है। /

Specific departments have been specified to do 100% work in Hindi, namely; Establishment, Purchase, Administration and Estate departments respectively (Reference: Office Order No. 13136/NIFT Bhopal/Admn./Hindi Committee/2009/Part-2 dated: 06/06/2023) . Apart from this, in the inspection report by the Regional Implementation Office, Bhopal, it has been directed that other departments should also be encouraged to work in Hindi and the use of the Official Language should be increased.

Therefore, for any kind of translation related assistance in this matter, Junior Translation Officer, NIFT Bhopal can be contacted.

5. लेखा अधिकारी श्री केशक्ति नारायणन . की सेवानिवृति उपरांत सहायक लेखा अधिकारी श्री पार्थसेन गुप्ता को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य हेतु अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय और उपस्थित समिति सदस्यों की सहमित से नामांकित किया गया। /

After the retirement of the Accounts Officer Shri K. Shakti Narayanan, Assistant Accounts Officer Mr. Parthasen Gupta is nominated as a member of the Official Language Implementation Committee with the consent of the Chairman and Vice Chairman and the committee members present.

- 6. अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही की प्रस्तावित कार्यशाला के विषय च्नाव के संबंध में समिति से चर्चा हुई।/ There was a discussion with the committee regarding the selection of the topic for the proposed workshop for the quarter October to December 2023.
- 7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव दवारा समिति के समक्ष यह नियम दोहराया गया कि/ With the permission of the Chairman, this rule was reiterated before the Committee by the Member Secretary that :
 - क) दुविभाषी/हिन्दी में तैयार किए गए पत्र/टेंडर/कार्यालय आदेश/ परिपत्र इत्यादि पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर किए जाएँ - सभी विभागाध्यक्ष द्वारा इस नियम का अनुपालन स्निश्चित किया जाना निर्देशित है।/
 - a) Letters/tenders/office orders/circulars etc. that are prepared in Bilingual/Hindi, should be signed in Hindi only - All HOD's are directed to ensure compliance with this rule
 - ख) लिफाफों पर पते हिंदी /द्विभाषी में लिखना : सभी अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी / द्विभाषी में ही लिखे जाएँ। सभी अनुभाग/पत्र प्रेषक इस नियम का अन्पालन स्निश्चित करेंगे।/

Writing addresses on envelopes in Hindi/bilingual: All Departments should ensure that addresses on envelopes of letters sent to "A" and "B" regions are written in Hindi/bilingual only. All departments/dispatcher will ensure compliance with this rule.

8. अध्यक्ष महोदय की अन्मति से इस बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परिसर शैक्षणिक समन्वयक (सीएसी) की उपस्थिति में परिसर के राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला/बैठक या अन्य गतिविधियों में संकाय सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई।/

With the permission of the Chairman, in the presence of the Campus Academic Coordinator (CAC) as a special invitee in this meeting, discussions were held regarding ensuring participation of faculty members in workshops/meetings or other activities organized by the Official Language Section of the campus.

अध्यक्ष महोदय की अन्मति से बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई। With the permission of the Chairman, the meeting concluded with a vote of thanks.

(ले. कर्नल आशीष अग्रवाल)

अध्यक्ष

(अखिल सहाय)

उपाध्यक्ष

(स्वाति व्यास)

सदस्य

(अयन तिवारी)

सदस्य

~ sun

(डॉ. विशाखा अग्रवाल)

सदस्य

(प्रभात क्मार)

सदस्य

(उत्पल पाठक)

सदस्य

(डॉ. रजेनीश तामकर)

सदस्य

(सिकंदर बखत)

सदस्य

(समता

सदस्य सचिव

सदस्य

बैठक की तस्वीर संलग्न है/ The photograph of the meeting is attached:-



प्रेषित/10,

- 1. सभी समिति सदस्य/All members of the committee सादर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ/ for information and compliance please
- 2. सीएसी निफ्ट भोपाल/CAC NIFT Bhopa- सादर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ/ for information and compliance please

प्रतिलिपि/ Copy to :

- 1. सहायक निदेशक (राजभाषा) निफ्ट मुख्यालय (दिल्ली) सादर सूचनार्थ/ Assistant Director (Official Language) NIFT Head Office (Delhi)- For Information please
- 2. वैबबमास्टर निफ्ट भोपाल और कम्प्युटर अभियंता, निफ्ट भोपाल) वैबसाइट :राजभाषा पृष्ठ (पर अपलोड करने हेतु / Webmaster and Computer Engineer NIFT Bhopal : for uploading on website (OL Page)
- 3. अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) भोपाल- सादर सूचनार्थ/ Research Officer, Regional Implementation Office (central) Bhopal- For Information Please